न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–65/2024
निर्णय दिनांक–31.12.2024
अर्जुनराम पुत्र आशाराम निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू,राज.

.....वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र जीवणराम निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ चूरू,राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ चूरू, राज.
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति, राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हर प्रकार के प्रमाणों के आधार पर

उपस्थितः–
1. सुरेश शर्मा एडवोकेट वादी।
2. हनुमानमल प्रजापत एकवोकेट प्रतिवादी संख्या 01।
3. प्रतिवादी संख्या 02 राज पैरोकार राज।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़, जिला–चूरू

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से दिनांक 12.06.2017 को एक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 2238/200 रकबा 04 बीघा 13 बिश्वा मेंसे 01 बीघा भूमि तेरह लाख पचपन हजार रूपये में क्रय की थी। वादी ने अपनी क्रय शुदा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ से दिनांक 29.12.2017 को वादी ने अपने पक्ष में करवा लिया तथा जिसका नामान्तकरण सहवन से गलत जगह कर दिया गया।

वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 20.06.2019 को खेत खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.9232 हैक्टेयर, बारानी अब्बल भूमि क्रय की थी जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में नहीं करवाया तथा बैंक से गलत रूप से ऋण ले लिया। इसलिए वादी अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने तथा खरीदशुदा भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने मना कर दिया जो वाद है तुक है। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 03 से ऋण ले रखा है जिसको पक्षकार संख्या 03 के रूप में तथा प्रतिवादी संख्या 02 राजस्थान सरकार भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतः वादी द्वारा खरीदशुदा दोनों विक्रय पत्रों के आसे पासे व माप की भूमि जो विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2017 व दिनांक 20.06.2019 व भू–संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.12.2017 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वादी को उसके खरीदशुदा भूमि में से जबरन बेदखल नहीं करे तथा गिरवी, रहन, बंधक, विक्रय तथा हस्तान्तरण आदि नहीं करें।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर वाद न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं व मय अपने अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकारते हुए वाद वादी डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा राजीनामा में अंकित किया कि अगर वादी अपनी खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है तथा वादी अपनी खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाता है तो मुझे कोई उजर आपति नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम सालासर के खसरा संख्या 2238/200 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में से नामान्तकरण संख्या 1724 दिनांक 30.08.2017 द्वारा नये खसरा संख्या 2252/2238 रकवा 3 बीघा 13 बिस्वा सुरजाराम पुत्र जीवण राम जाति जाट निवासी सालासर व खसरा संख्या 2251/2238 रकवा 1 बीघा अर्जुन राम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी अणखोल्या के नाम दर्ज हुआ। उक्त रजि. विक्रयपत्रानुसार व मौके पर कब्जा अनुसार खसरा संख्या 2238 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से नामान्तकरण दर्ज करते समय उपर्युक्त खसरा तीन हिस्सों में टूट कर तीन नये खसरा बनने थे लेकिन भूलवश दो हिस्से खसरा संख्या 2251/2238 व 2252/2238 बने हैं जिसमें उपर्युक्त खसरा नम्बर की तरमीम भी मौका अनुसार व रजि. विक्रयपत्रानुसार दर्ज नहीं होकर गलत दर्ज है। खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.9232 है. में से रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2019 को 0.1560 है0 अर्जुन राम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी अणखोल्या के पक्ष में सुरजाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट ने पंजीबद्ध करवाया है जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है लेकिन क्रेता अर्जुन राम का विक्रय पत्र में अंकित आसे पासे अनुसार मौके पर कब्जा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.9232 हैक्टेयर आज दिनांक तक सुरजाराम पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 03 का अनापति प्रमाण पत्र वादी ने प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादगत खसरान की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा लिया गया ऋण/रहन खाता बन्द हो चुका है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

वहस उभय पक्ष सुनी गई।

वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 01 ने भी दौराने बहस अपने जवाब दावा व राजीनामा के मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने का कथन किया।

वहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रोही ग्राम सालासर के खसरा संख्या 2238/200 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में से नामान्तकरण संख्या 1724 दिनांक 30.08.2017 द्वारा नये खसरा संख्या 2252/2238 रकवा 3 बीघा 13 बिस्वा सुरजाराम पुत्र जीवण राम जाति जाट निवासी सालासर व खसरा संख्या 2251/2238 रकवा 1 बीघा अर्जुन राम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी अणखोल्या के नाम दर्ज हुआ। उक्त रजि. विक्रयपत्रानुसार व मौके पर कब्जाअनुसार खसरा संख्या 2238 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से नामान्तकरण दर्ज करते समय उपर्युक्त खसरा तीन

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

हिस्सों में टूट कर तीन नये खसरा बनने थे लेकिन भूलवश दो हिस्से खसरा संख्या 2251/2238 व 2252/2238 बने हैं जिसमें उपर्युक्त खसरा नम्बर की तरमीम भी मौका अनुसार व रजि. विक्रयपत्रानुसार दर्ज नहीं होकर गलत दर्ज है। खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.9232 है. में से रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2019 को 0.1560 है0 अर्जुन राम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी अणखोल्या के पक्ष में सुरजाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट ने पंजीवद्ध करवाया है जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है लेकिन क्रेता अर्जुन राम का विक्रय पत्र में अंकित आसे पासे अनुसार मौके पर कब्जा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.9232 हैक्टेयर आज दिनांक तक सुरजाराम पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन की हद तक स्वीकार तथा चिर निषेधाज्ञा की हद तक खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ के खेत जिसके पुराना खसरा संख्या 2238/200 जिसकी वर्तमान तरमीम अशुद्ध है, को रजि. विक्रयपत्र तथा पटवारी रिपोर्ट मुताबिक खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.2205 हैक्टेयर के ठीक दक्षिण में खसरा संख्या 2401/2251 रकबा 0.2276 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2401/2251 रकबा 0.2276 हैक्टेयर के ठीक पश्चिम में खसरा संख्या 2402/2251 रकबा 0.0253 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2402/2251 के ठीक पश्चिम व खसरा संख्या 2401/2251 तथा 2402/2251 के ठीक दक्षिण में खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.7027 हैक्टेयर की तरमीम का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त करें तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा रजि. विक्रयपत्र दिनांक 20.06.2019 द्वारा वादी को बेचान की गई भूमि जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है जबकि मौके पर कब्जा वादी के पास है तथा पक्षकारान का राजीनामा भी प्रस्तुत है अगर उक्त पर कोई स्थगन या अपील विचाराधीन नहीं है तो उक्त रजि. विक्रयपत्र के अनुसार उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ~~पटवारी रिपोर्ट अनुसार संलग्न नक्सा भी इस आदेश का ही भाग रहेगा।~~

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़**
बइजलास**श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

अर्जुनराम बनाम सुरजाराम आदि
दावा बाबत चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति, राजस्व रिकॉर्ड
में संशोधन हर प्रकार के प्रमाणों के आधार पर
मुकदमा न0 65 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....
हाजरी श्री सुरेश शर्मा एड. मिनजानिब मुदई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ के खेत जिराके पुराना खसरा संख्या 2238/200 जिसकी वर्तमान तरमीम अशुद्ध है, को रजि. विक्रयपत्र तथा पटवारी रिपोर्ट मुताबिक खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.2205 हैक्टेयर के ठीक दक्षिण में खसरा संख्या 2401/2251 रकबा 0.2276 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2401/2251 रकबा 0.2276 हैक्टेयर के ठीक पश्चिम मे खसरा संख्या 2402/2251 रकबा 0.0253 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2402/2251 के ठीक पश्चिम व खसरा संख्या 2401/2251 तथा 2402/2251 के ठीक दक्षिण मे खसरा संख्या 2252/2238 रकबा 0.7027 हैक्टेयर की तरमीम का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त करें तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा रजि. विक्रयपत्र दिनांक 20.06.2019 द्वारा वादी को बेचान की गई भूमि जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है जबकि मौके पर कब्जा वादी के पास है तथा पक्षकारान का राजीनामा भी प्रस्तुत है अगर उक्त पर कोई स्थगन या अपील विचाराधीन नहीं है तो उक्त रजि. विक्रयपत्र के अनुसार उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार संलग्न नक्शा भी इस आदेश का ही भाग रहेगा।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 12 2024

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला-चूरू, सत्यमेव जयते)

दस्तखत ....
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
ओहदा ....

मुहर

मुदई	रुपया		मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।